



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-548

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 303718 दिनांक 18/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Nirmala Meena W/o Gajendra Singh Meena	जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री एम.एस. सिंह	N-27-OLD NO.5A	186.21 SQ. YARD	Cooperative	ASHOK VIHAR- B	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	शिव शंकर हां.को.सो.स. की योजना अशोक विहार-बी के भूखण्ड सं. नया 27 पुराना 5ए का आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद सर्वप्रथम जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री एम.एस. सिंह के पक्ष में दिनांक 06.05.1995 में जारी हुये एवं उप रजिस्टार सहकारिता जविप्रा द्वारा दिनांक 21.11.2014 को नाम हस्तांतरण जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री एम.एस. सिंह में पक्ष में जारी किया हैं। तत्पश्चात पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान दिनांक 11.01.2023 जितेन्द्र सिंह पुत्र एमएस सिंह द्वारा श्रीमती निधि



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

मीणा पत्नी श्री
राम किशन मीणा
के पक्ष में हुआ।
आवेदिका द्वारा
लीजहोल्ड पट्टा
विलेख हेतु
आवेदन किया
गया है। अतः
प्रकरण में
वाद-विवादस्थगन
, मौका रिपोर्ट एवं
भूखण्ड सृजन एवं
उप रजिस्ट्रार,
सहकारिता से
सदस्यता सूची की
रिपोर्ट ली जानी
उचित होगी। अतः
पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
आदेशार्थ प्रस्तुत
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Nirmala Meena W/o Gajendra Singh Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।